

महोदय जी

निवेदन है कि मुताबिक आचार्य जी सं-65172101163
आधी का नाम मूलचन्द केदार प्रसाद पुत्र मूलचन्द वर्ज है एवं जमावडी
सम्बत 2073-2076 खाती 2077 में खोलेपर का नाम केदार प्रसाद
पुत्र मूला वर्ज रिपोर्ट है। अतः खोलेपर का नाम मुक्ति से
केदार प्रसाद पुत्र मूला के बजाय केदार प्रसाद पुत्र मूलचन्द कर
जाति मुम्बर डरजे बिया जाने की अभिप्रेक्षा की जाती है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार
27/09/25
प०६०. लाखनपुर

महोदय जी,

मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का लाखनपुर तथा 22R
बोली की रिपोर्ट के आधार पर केदार प्रसाद पुत्र मूला के
स्थान पर केदार प्रसाद पुत्र मूलचन्द करते ही इच्छा की जाती है।

तहसीलदार (मू.अ.)
बोली (सवाई माधोपुर)

44
27/9/25

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व ऑच डर एवं तहसीलदार बोली
की अभिप्रेक्षा अनुसार मुक्ति की जाती है।

उक्त अभिप्रेक्षा पर
क अभिप्रेक्षा
लाखनपुर
27/9/25


उपखण्ड अधिकारी
बोली